राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, चलपीठ जोधपुर

अपील संख्या :– 21/2023

राकेश रेगर **–अपीलार्थी**

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये, शासन सचिव शिक्षा विभाग, सचिवालय, राजस्थान सरकार जयपुर।
2. निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, बीकानेर।
3. जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक चुरू।
4. जिला शिक्षा अधिकारी एवं जिला कलेक्टर चुरू।
5. निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण पदाधिकारी एस डी एम सुजानगढ़ चुरू।

–प्रत्यर्थीगण

प्रस्तुतिकरण की दिनांक : 17.01.2023
आदेश की दिनांक : 18.01.2023

उपस्थित –
अपीलार्थी की ओर से : श्री हापुराम, अभिभाषक
प्रत्यर्थीगण की ओर से : श्री यशंवत मेहता, राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– शुचि शर्मा, सदस्य
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

अपील के तथ्य संक्षेप में निम्न प्रकार हैः–

अपीलार्थी वर्तमान में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय क्रमांक 1, वीदासर चुरू में कार्यरत है। उनका कथन है कि अपीलार्थी की प्रथम नियुक्ति वर्ष 2018 में अध्यापक ग्रेड–III के पद पर हुई थी और उसे राजकीय प्राथमिक विद्यालय ढाणी गोनानाताल कल्याणसर जिला चुरू में पदस्थापित किया गया। साक्षात्कार के माध्यम से उसे आदेश दिनांक 02.09.2022 के द्वारा उसे वर्तमान पदस्थापन स्थान पर पदस्थापित किया गया। आलोच्य आदेश दिनांक 23.12.2022 के द्वारा उसे पीडब्ल्यूडी का बीएलओ का कार्य भी दिया गया जो अनुलग्नक–2 से प्रकट होता है। जबकि आदेश दिनांक 14.11.2019 के द्वारा जो कार्मिक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत है, उन्हें शिक्षा विभाग में अपने कार्य के साथ-साथ बीएलओ का कार्य करने के निर्देश दिये गये तथा आदेश दिनांक 26.09.2020 के द्वारा जो कार्मिक महात्मा गांधी राजकीय विद्यालय में कार्यरत है उन्हें चुनाव कार्य में नहीं लगाया जाने का निर्देश दिये गये। लेकिन प्रत्यर्थी विभाग ने उक्त आदेश की

अनदेखी करते हुए अपीलार्थी को अपने कार्य के साथ-साथ पीडब्ल्यूडी के बीएलओ का कार्य भी दे दिया जो नियमों के विपरीत है। अतः अपील अपीलार्थी स्वीकार फरमाई जावे और आलोच्य आदेश दिनांक 23.12.2022 को अपीलार्थी की सीमा तक अपास्त फरमाया जावें तथा अपीलार्थी को यथा स्थान कार्य करने के निर्देश दिये जायें।

हमनें अपीलार्थी के विद्वान अधिवक्ता की बहस सुनी एवं पत्रावली में उपलब्ध समस्त दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन कर मनन किया।

बहस के दौरान अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता द्वारा अपील में वर्णित आधारों एवं अधिकारों को त्यागते हुये यह अनुरोध किया गया कि अपीलार्थी द्वारा प्रत्यर्थी विभाग के समक्ष अपना अभ्यावेदन प्रस्तुत करने पर प्रत्यर्थी विभाग द्वारा नियमानुसार अभ्यावेदन का निस्तारण करने के आदेश प्रदान करने का अनुरोध किया गया। प्रत्येक कार्मिक को यह अधिकार प्राप्त है कि वह सेवा संबंधी अभाव अभियोग निवारण हेतु अपने नियोक्ता को अभ्यावेदन प्रस्तुत करें।

अतः प्रस्तुत अपील के तथ्यों के संबंध में गुणावगुण पर विचार नहीं करते हुए, अपीलार्थी के विद्वान् अधिवक्ता एवं प्रत्यर्थी विभाग के विद्वान् राजकीय अधिवक्ता के अनुरोध को दृष्टिगत रखते हुए तथा अपीलार्थी की वर्तमान परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए न्यायहित में यह आदेश दिया जाता है कि अपीलार्थी दो सप्ताह की अवधि में विभाग के सक्षम प्राधिकारी को अपनी अपील में वर्णित तथ्यों पर एक अभ्यावेदन प्रस्तुत करे। सक्षम प्राधिकारी को यह निर्देश दिये जाते है कि वह पूर्वोक्त आशय का अभ्यावेदन प्राप्त होने पर उसे राज्य सरकार व विभाग के दिशा-निर्देशों/परिपत्रों/नियमों के परिप्रेक्ष्य में आगामी दो सप्ताह की अवधि में गुणावगुण के आधार पर आख्यात्मक आदेश (Speaking Order) प्रसारित कर निस्तारित करे और ऐसे निस्तारण की सम्यक् सूचना अपीलार्थी को दे। यहा यह भी स्पष्ट किया जाता है कि प्रत्यर्थी विभाग अभ्यावेदन निस्तारण होने के पहले अपीलार्थी के विरूद्ध कोई दण्डात्मक कार्यवाही ना करें।

अतः उक्त अपील उपर्युक्त निर्देश के साथ अन्तिम रूप से निस्तारित की जाती है।

(लेखराज तोसवाड़ा)
सदस्य

(शुचि शर्मा)
सदस्य